रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 85] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 5, 1974/चैत्र 15, 1896

No. 85] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 5, 1974/CHAITRA 15, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April 1974

G.S.R. 173(E)/IDRA/39/1/674/6.—The following draft of certain further amendments to the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section 30, for the information of persons likely to be effected thereby.

Notice is hereby given that the draft will be taken into consideration on or after the 6th May, 1974.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the draft before the date so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Registration and Licensing of Industrial Undertakings (Fourth amendment) Rules, 1974.

2. In the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952,—

(1) in Form A,—

(i) in item 1, after paragraph (c), the following paragraph shall be inserted, namely:—

"(d) industrial undertakings producing on 7th February, 1974, or at any time during the twelve months preceding that date, any articles relatable to the industries added to the First Schedule by the Industries (Development and Regulation) Amendment Act, 1973".

(ii) in item 2, for the words and figures "or 1st March, 1957", the figures, letters and words "1st March, 1957 or 7th February, 1974" shall be substituted.

(2) in Form B,—

(i) in item 1, after paragraph (c), the following paragraph shall be inserted, namely:—

"(d) Industrial undertakings which had taken effective steps as defined in rule 2(ii) of these rules, on or before the 7th February, 1974 for the production of articles relatable to the industries added to the First Schedule by the Industries (Development and Regulation) Amendment Act, 1973.";

(ii) in item 2, for the words and figures "or 1st March, 1957", the figures, letters and words ",1st March, 1957 or 7th February, 1974", shall be substituted.

[No. F. 1374/74-IP1]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1974

का० नि० आ० 173 (अ)/आई० डी० आर० ए०/39/1/674/6—औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 में कतिपय और संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, बनाने की स्थापना करती है, उक्त धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित ऐसे सभी व्यक्तियों की, जिसका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

सूचना दी जाती है कि प्रारूप पर 6 मई, 1974 को या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ।

किसी ऐसे आक्षेप या सुझाव पर, जो प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1974 है ।

2. औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 में, —

(1) प्ररूप क में, —

(i) मद 1 में, पैरा (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"(घ) 7 फरवरी, 1974 या उस तारीख के पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान किसी समय, उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1973 द्वारा प्रथम अनुसूची में जोड़ी गयी उद्योगों से संबंधित किन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करने वाले औद्योगिक उपक्रम ।"

(ii) मद 2 में, "या 1 मार्च, 1957" शब्दों और अंकों के स्थान पर ",1 मार्च, 1957 या 7 फरवरी, 1974" अंक, अक्षर और शब्द रखे जायेंगे ।

(2) प्ररूप ख में, —

(i) मद 1 में, पैरा (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) ऐसे औद्योगिक उपक्रम, जिन्होंने 7 फरवरी, 1974 को या उसके पूर्व, उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1973 द्वारा प्रथम अनुसूची में जोड़ी गई ख—उद्योगों से संबंधित वस्तुओं के उत्पादन के बारे में इन नियमों के नियम 2(ij) में यथा-परिभाषित प्रभावी कदम उठाये थे ।" ;

(ii) मद 2 में, "या 1 मार्च, 1957" शब्दों और अंकों के स्थान पर ",1 मार्च, 1957 या 7 फरवरी, 1974," अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० फा० 13/4/74—एल० पी०]

एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974